

25.9.18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीलासीन
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण
पत्रावली दिनांक 12.11.18 को पेश हो।

12.11.18 पत्रावली पेश हुई।

वकील शर्मा को बार बार अवसर
लगाने के उपरान्त अनु. (अन्तिम अवसर)
दिया जाकर दिनांक 28.11.18 को पेश
हो।

एस.डी.ओ.
देसुरी

28/11/18 वकुलाम उपस्थित।

अपीली करणा 1 व 5 की तलबी के लिए PIF नोटिस
पेश करने के लिए काफी अवसर पूर्व में दिये जा
चुके हैं। लेकिन वावजूद निर्देशों के PIF नोटिस
प्रस्तुत नहीं किये हैं। 100 कोष पर वकील शर्मा
को PIF नोटिस पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया
जाता है। पत्रावली दिनांक 24/12/2018 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी
देसुरी

24/12/18

वकील शर्मा अनुपस्थित। वकील परिवारी उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील शर्मा को
पूर्व में अपील सं- 1 व 5 की तलबी के लिए काफी अवसर
दिये जाने के वावजूद स्व 100 कोष पर ^{समय} ~~अन्तिम~~ के पश्चात भी
PIF समान प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्तिम अवसर भी
दिया गया। अतः CPC के प्रावधान आदेश-9-(2) CPC

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

के लहल उकरण प्रार्थना पर खारीज किया जाता
है। परावली कैमल शुमार होकर मूल कांड के
साथ सलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
देसुरी (पाली)

अवकाश

अवकाश

पेक्षा

15 नोटिस

जा

दिस

सभी

दिया

हो

अधिकारी

नम्बर